Dr.R. K. Dular
Sr.Sc. & Head

Bhartia Krishi Vigyan Kendra, Fatehpur

Directorate of Extension Education

(S.K.N. Agriculture University, Jobner-Jaipur)
Ph. No. 01571-222062 (Off)
Email: pc.kvk.fatehpur@sknau.ac.in

No: BKVK/FTR/Tender/Rabi 2019-20/315-17 Date: 13-11-2019

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर फार्म पर रबी फसल 2019-20 के लिए लगभग 4.0 हैक्टेयर में हिस्सा आधारित खेती हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म रू 500/- नकद जमा करवाकर कार्यालय से (समय प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक) प्राप्त कर सकते हैं तथा इस निविदा की सूचना विश्वविद्यालस के पोर्टल www.sknau.ac.in पर तथा राज्य सरकार के पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्म/पार्टी/व्यक्ति अपनी निविदा बंद लिफाफे मे दिनांक *28.11.2019* को प्रातः 11.00 बजे तक केन्द्र पर प्रस्तुत करें। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक *28.11.2019* को ही दोपहर 01.00 बजे निविदादाताओ के समक्ष विश्वविद्यालय नियमानुसार गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी।

निविदा की शर्तें -

1. **निविदा का बजट हैड कृषि विज्ञान केन्द्र का रिवोल्विंग फंड होगा व निविदा की अधिकतम लागत रूपये 2.00 लाख से कम होगी।**
2. **निविदा कार्य की अवधि एक सीजन रबी 2019-20 होगी तथा इस निविदा हेतु धरोहर राशि रूपये 4000/- की डी.डी. द्वारा प्रस्तुत करनी होगी** तथा निविदा **फार्म कार्यालय समय में रू 500/- जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।**
3. निविदादाता को निविदा कार्य समाप्त होने पर बिल भुगतान हेतु प्रिन्टेड (छपा हुआ) अथवा सफेद कागज पर छपा हुआ (प्रिन्ट निकाला हुआ) देना होगा।
4. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी परन्तु बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें।
5. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें।
6. विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर/इंचार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
7. थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के हिस्सेदारी के अनुसार कोन्ट्रेक्टर को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का थ्रेसिंग/तुलाई के समय उपज मंडी के 07 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
8. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म इंचार्ज से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इकठ्ठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
9. निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर/इंचार्ज अथवा वरिष्ठ वैज्ञानिक को होगा।
10. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/इन्चार्ज/वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की कतार निविदादाता को लगानी होगी जिसमें थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा एवं थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए केवीके द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी परन्तु फसल में थिंनिगं/रोगिंग कार्य फार्म मैनेजर/फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
11. पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन सम्बन्धी कार्य निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा तथा ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
12. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं निविदा कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व 100 रू0 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नही पाये जाने व कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केन्द्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है। जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
13. निविदादाता द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्य समाप्त करने पर कोषागार से बिल पारित होने के पश्चात् भुगतान/हिस्सा कैशलेश फार्म में किया जायेगा।
14. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

//
Senior Scientist and Head
Bhartia Krishi Vigyan Kendra
Fatehpur (Sikar)

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा, SKNAU, जोबनेर ।
2. श्रीमान प्रभारी, सिमका, SKNAU, जोबनेर को भेजकर विश्वविद्यालय निवेदन है कि इस निविदा सूचना को विश्वविद्यालय के पोर्टल www.sknau.ac.in पर तथा राज्य सरकार के पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशन कराने का श्रम करायें।
3. नोटिस बोर्ड, व समिति सदस्य, केवीके, फतेहपुर।

Senior Scientist and Head
Bhartia Krishi Vigyan Kendra
Fatehpur (Sikar)